



विकेन्द्रीकरण का ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रभाव : बिलासपुर संभाग के विशेष संदर्भ में एक अनुभवजन्य अध्ययन

रामलाल पटेल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान

डॉ. अंजना ठाकुर

शोध निर्देशक एवं प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय अर्जुनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

सारांश

भारत में 73वें संविधान संशोधन ने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करते हुए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को संस्थागत स्वरूप दिया। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य बिलासपुर संभाग की ग्राम पंचायतों में विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप प्रशासनिक कार्यों तथा पंचायतों की कार्यप्रणाली में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है। अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों पर आधारित है। बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा और सकती जिलों से कुल 400 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति, प्रतिशत, माध्य स्कोर, Pearson काई-स्कायर तथा एक-नमूना + -परीक्षण के माध्यम से किया गया। 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रशासनिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन स्वीकार किया, जबकि 80.75 प्रतिशत ने ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में सुधार से सहमति व्यक्त की। प्रथम परिकल्पना के लिए $t = 10.907$ तथा द्वितीय परिकल्पना के लिए $t = 21.185$ प्राप्त हुआ; दोनों परीक्षण $p < 0.001$ पर सार्थक रहे। जिला-वार काई-स्कायर परीक्षणों से यह भी ज्ञात हुआ कि सकारात्मक अनुभव किसी एक जिले तक सीमित नहीं हैं। अध्ययन निष्कर्ष देता है कि विकेन्द्रीकरण ने स्थानीय प्रशासन को अधिक सहभागी, उत्तरदायी एवं कार्यकुशल बनाया है, यद्यपि वास्तविक अधिकार-हस्तांतरण, वित्तीय स्वायत्तता, मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता के क्षेत्र में अभी सुधार की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: विकेन्द्रीकरण ग्राम पंचायत पंचायती राज; प्रशासनिक कार्यप्रणाली बिलासपुर संभाग।

परिचय

विकेन्द्रीकरण से आशय शासन की शक्तियों, उत्तरदायित्वों, संसाधनों और निर्णयाधिकार का उच्च प्रशासनिक स्तरों से स्थानीय संस्थाओं की ओर हस्तांतरण है। लोकतांत्रिक शासन में यह प्रक्रिया नागरिकों को निम्न-निम्न के निकट लाती है और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संभव बनाती है।

भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में ग्राम पंचायत विकेन्द्रीकृत शासन की आधारभूत इकाई है। ग्राम सभा, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कमममचारियों के माध्यम से यह संस्था विकास योजनाओं के चयन, क्रियान्वयन, निगरानी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है।

महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना स्थानीय आत्मनिर्भरता और सहभागी लोकतंत्र पर आधारित स्वतंत्रता के बाद बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की; अशोक मेहता समिति ने जिला स्तर को विकास प्रशासन की प्रमुख इकाई माना; तथा एल. एम. एड. समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने पर बल दिया। इन



प्रयासों की परिणति 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में हुई, जिसने नियमित चुनाव, आरक्षण, राज्य निवौचन आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा ग्यारहवीं अनुसूची के माध्यम से पंचायतों की संस्थागत भूमिका को सुदृढ़ किया।

संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद वास्तविक विकेन्द्रीकरण केवल संस्थाओं के गठन से पूर्ण नहीं होता। कार्य, वित्त और कामिकों का प्रभावी हस्तांतरण, निवीचित प्रतिनिधियों की प्रशासनिक क्षमता, ग्राम सभा की सक्रियता, पारदर्शी लेखा व्यवस्था और विभागीय समन्वय इसकी सफलता के अनिवार्य घटक हैं। छत्तीसगढ़ जैसे ग्रामीण एवं अनुसूचित क्षेत्र बहुल राज्य में पंचायतों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण है। बिलासपुर संभाग में भौगोलिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक विविधता के कारण विकेन्द्रीकरण के परिणाम जिलों में अलग तीव्रता से दिखाई दे सकते हैं। अतः क्षेत्रीय अनुभवों पर आधारित मूल्यांकन आवश्यक है।

यह शोध-पत्र मूल शोध-प्रबंध के व्यापक निष्कर्षों में से प्रशासनिक कार्यप्रणाली से संबंधित दो प्रमुख आयामों पर केंद्रित है: प्रशासनिक कार्यों में परिवर्तन और ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में सुधार। अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि अधिकारों के स्थानीयकरण ने संरचना, निर्णय प्रक्रिया, जवाबदेही, पारदर्शिता और कार्यकुशलता को किस सीमा तक प्रभावित किया है।

साहित्य समीक्षा

Ax (1994) ने पंचायती राज को केवल एक वैधानिक व्यवस्था न मानकर जन-आंदोलन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार पंचायतों की वास्तविक शक्ति ग्राम सभा की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व और निरंतर जनभागीदारी से आती है। कृक एवं मैनर (1998) तथा मैनर (1999) ने दक्षिण एशिया के अनुभवों के आधार पर स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण से जनभागीदारी और प्रशासनिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है। हालांकि, इसकी सफलता राजनीतिक प्रतिस्पर्धी, संस्थागत क्षमता और संसाधनों के वास्तविक हस्तांतरण पर निर्भर करती है।

पाल (2001) ने विकेन्द्रीकृत नियोजन को स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को विकास योजनाओं में सम्मिलित करने का प्रभावी माध्यम AMT! SSR (2001) ने मध्य प्रदेश में लागू ग्राम स्वराज प्रयोग का विश्लेषण करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाओं तथा उसकी संस्थागत सीमाओं को रेखांकित किया। ओमन (2004) ने वित्तीय विकेन्द्रीकरण के दिनों में बताया कि पंचायतों को सौंपे गए कार्यों और उनके स्वयं के राजस्व स्रोतों के मध्य संतुलन आवश्यक है। इस संतुलन के अभाव में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित रहती है।

राजारमन एवं सिन्हा (2007; 2009) ने विभिन्न राज्यों में पंचायतों को किए गए कार्यात्मक हस्तांतरण का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पंचायती राज से संबंधित कानूनी प्रावधानों और वास्तविक प्रशासनिक व्यवहार के बीच अंतर विद्यमान है।

हेलर, हरिलाल एवं चौधरी (2007) ने केरल में विकेन्द्रीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए सहभागी नियोजन और स्थानीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए। दत्ता (2009) ने भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में हुए परिवर्तनों और विद्यमान चुनौतियों की समीक्षा की। उन्होंने पंचायतों की प्रभावशीलता के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता के समन्वित विकास को आवश्यक माना। रेड्डी एवं मोहपात्रा (2007) ने पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष दिया कि केवल धन का आवंटन पर्याप्त नहीं है। वित्तीय संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता और स्थानीय स्तर पर व्यय संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आवश्यक है।

कुमार, कुमार एवं कुमार (2074) ने स्थानीय स्वशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का अध्ययन किया। उनके अनुसार डिजिटल तकनीकों के प्रयोग से पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा- प्रदायन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ब्रह्मानंदम (208) ने 73वें संविधान संशोधन की समीक्षा करते हुए कार्यों, वित्तीय संसाधनों और कामिकों के अधूरे हस्तांतरण को पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख चुनौती माना।

दत्ता एवं सोढ़ी (2024) ने पंचायतों को भारतीय संघीय व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में स्वीकार करते हुए बताया कि उनकी संवैधानिक स्थिति के अनुरूप प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार अभी तक समान रूप से विकसित नहीं हुए हैं।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि विकेन्द्रीकरण की सफलता प्रशासनिक, राजनीतिक, वित्तीय, तकनीकी और सामाजिक कारकों पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय स्तर पर पंचायती राज और विकेन्द्रीकरण से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए हैं, किंतु बिलासपुर संभाग की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक परिवर्तन तथा कार्यप्रणाली में हुए सुधारों का अनुभवजन्य और जिला-वार मूल्यांकन सीमित है। प्रस्तुत अध्ययन इसी शोध-अंतराल को पूरा करने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर संभाग में विकेन्द्रीकरण से प्रशासनिक कार्यों में आए बदलावों का अध्ययन करना।
- विकेन्द्रीकरण से ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना।

शोध परिकल्पनाएँ

Hos: विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्यों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

Hix: विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

Hoo: विकेन्द्रीकरण से ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में कोई सांथक परिवर्तन नहीं हुआ है।

Ho: विकेन्द्रीकरण से ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में सार्थक एवं सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन क्षेत्र में बिलासपुर संभाग के बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा तथा सकती जिले सम्मिलित हैं। प्रत्येक जिले से 400 उत्तरदाताओं सहित कुल 400 उत्तरदाताओं को अध्ययन में लिया गया। प्राथमिक आँकड़े संरचित अनुसूची के माध्यम से प्राप्त किए गए तथा द्वितीयक सामग्री संविधान, सरकारी प्रतिवेदनों, पुस्तकों और शोध-पत्रों से संकलित की गई। अभिमतों को आवृत्ति, प्रतिशत और माध्य स्कोर द्वारा प्रस्तुत किया गया। परिकल्पना परीक्षण हेतु 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर एक-नमूना +-परीक्षण और जिला-वार अभिमतों की समानता Gilad के लिए Pearson काई-स्कायर परीक्षण प्रयुक्त हुआ।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन का जिला-वार वितरण

जिला	पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	कुल	साथ
------	--------------	------	----------	-------	-----	-----



बिलासपुर	42	38	10	10	100	4.12
मुंगेली	35	41	12	12	100	3.99
जांजगीर-चांपा	46	39	8	7	100	4.24
wet	23	44	18	15	100	3.75
कल	146	162	48	44	400	4.02

स्रोत क्षेत्र सर्वेक्षण से संकालित WMAP आकड़े।

तालिका के अनुसार कुल 400 उत्तरदाताओं में 46 पूर्णतः सहमत और 62 सहमत हैं। इस प्रकार 308

उत्तरदाता अधीत 77.00 प्रतिशत प्रशासनिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन स्वीकार करते हैं। जांजगीर-चांपा का माध्य स्कोर 4.24 सर्वाधिक और सकती का 3.75 न्यूनतम है। बिलासपुर तथा मुंगेली में भी उच्च सहमति पाई गई। समग्र माध्य 4.02 यह दर्शाता है कि विकेन्द्रीकरण के बाद अधिकार-विभाजन, निष्पक्ष प्रक्रिया और स्थानीय प्रशासनिक उत्तरदायित्व में उल्लेखनीय सुधार अनुभव किया गया। जिलों के बीच तीव्रता का अंतर स्थानीय क्षमता, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्धता से संबंधित हो सकता है।

तालिका 2 अधिकारों के वास्तविक हस्तांतरण का स्तर

=	आवृत्ति	प्रतिशत	a
	158	39.50%	3
ome	173	43.25%	2
Pa	69	17.25%	1
=	400	100.00%	माध्य 2.22

Oe: क्षेत्र सर्वेक्षण से संकालित प्राथमिक आँकड़े/

तालिका 2 में 39.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अधिकार हस्तांतरण को उच्च और 43.25 प्रतिशत ने मध्यम स्तर

का AMI दोनों को मिलाकर 82.75 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते हैं कि पंचायतों को कम-से-कम मध्यम स्तर तक वास्तविक अधिकार प्राप्त हुए। केवल 7.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हस्तांतरण को निम्न बताया।

-3 पैमाने पर 2.22 का माध्य औसत से ऊपर की स्थिति दर्शाता है। परिणाम प्रगति की पुष्टि करता है, किंतु मध्यम श्रेणी का सबसे बड़ा अनुपात बताता है कि पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता अभी प्राप्त नहीं हुई है।

तालिका 3 ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में सुधार

अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
Wola: सहमत	152	38.00%



सहमत	171	42.75%
अनिश्चित	39	9.75%
असहमत	26	6.50%
पूर्णतः असहमत	12	3.00%
कल	400	100.00%

Oe: क्षेत्र सर्वेक्षण से संकालित प्राथमिक ऑकडे/

**तालिका 3 से ज्ञात होता है कि 38.00 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः सहमत तथा 42.75 प्रतिशत सहमत हैं।
संयुक्त**

रूप से 80.75 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में सुधार मानते हैं। अनिश्चित उत्तरदाता 9.75 प्रतिशत तथा असहमत और पूर्णतः असहमत मिलाकर केवल 9.50 प्रतिशत हैं। सकारात्मक प्रतिक्रियाओं की स्पष्ट UU यह संकेत देती है कि विकेन्द्रीकरण के बाद पंचायतों की सक्रियता, निर्णय क्षमता, जवाबदेही और पारदर्शिता में अनुभवजन्य सुधार हुआ।

तालिका 4 परिकल्पना परीक्षणों का सांख्यिकीय सार

परीक्षण एवं चर	समान	df	>-मूल्य	Pe
Hor एक-नमूना t परीक्षण	$t = 10.907$	399	<0.001	Hoi अस्वीकृत
जिला x प्रशासनिक परिवर्तन	$\chi^2 = 16.632$	9	0.055	अंतर असार्थक
Ho2 एक-नमूना t परीक्षण	$t = 21.185$	399	<0.001	Ho2 अस्वीकृत
जिला x पारदर्शिता	$\chi^2 = 7.268$	6	0.297	अंतर असार्थक

स्रोत क्षेत्र सर्वेक्षण से संकालित Whe ऑकडे/

**तालिका 4 में मुख्य परिकल्पनाओं के +-परीक्षण और पूरक जिला-वार कार्ई-स्क्ायर परीक्षण प्रस्तुत हैं।
Hor के**

लिए औसत 3.025, मानक विचलन 0.963 तथा परीक्षण मान 2.50 Uf $t = 10.907$ और $p < 0.001$ प्राप्त हुआ। Ho. के लिए औसत 4.063, मानक विचलन 7.003 तथा परीक्षण मान 3.00 था; $t = 2.85$ और $p < 0.007$ रहा। दोनों स्थितियों में प्राप्त औसत तटस्थ मान से महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। जिला-वार परीक्षणों में p- मूल्य 0.05 से अधिक होने के कारण जिलों के बीच महत्वपूर्ण अंतर सिद्ध नहीं हुआ।



परिकल्पना परीक्षण

परिकल्पना 1 प्रशासनिक कार्यों में परिवर्तन

एक-नमूना +-परीक्षण का सूत्र $t = (6 - |0|)/(5/8)$ है। यहाँ $X = 3.025$, $H_0 = 2.50$, $s = 0.963$ तथा $n = 400$ रखने पर $t = 10.907$ प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता की डिग्री 399 और $p < 0.001$ है। अतः 0.05 सार्थकता स्तर पर H_0 , अस्वीकार तथा H_1 , स्वीकार की जाती है। इससे सिद्ध होता है कि विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप प्रशासनिक कार्यों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। जिला और प्रशासनिक परिवर्तन के अभिमत का $y^2 = 6.632$, $df = 9$ तथा $p = 0.055$ रहा। यह जिला-वार अंतर को निगूयक रूप से साथेक नहीं बताता और संकेत देता है कि परिवर्तन की धारणा चारों जिलों में व्यापक है।

परिकल्पना 2 ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में परिवर्तन

द्वितीय परिकल्पना के लिए $x = 4.063$, $|n| = 3.00$, $s = 7.003$ और $n = 400$ के आधार पर $t = 27.785$ प्राप्त हुआ। $df = 399$ और $p < 0.001$ होने से H_0 अस्वीकार तथा H_1 , स्वीकार की जाती है। इस प्रकार ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में अर्थ एवं सकारात्मक सुधार सांख्यिकीय रूप से प्रमाणित है। जिला और पारदर्शिता के बीच $y^2 = 7.268$, $df = 6$ तथा $p = 0.29$ प्राप्त हुआ, जिससे जिला-वार अंतर असार्थक पाया गया। अर्थात् पारदर्शिता संबंधी सकारात्मक अनुभव किसी एक जिले तक सीमित नहीं है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि विकेन्द्रीकरण ने बिलासपुर संभाग की ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा प्रशासनिक परिवर्तन तथा 80.75 प्रतिशत द्वारा कार्यप्रणाली सुधार की स्वीकृति इस परिवर्तन की व्यापकता दर्शाती है। दोनों मुख्य +-परीक्षण अत्यधिक सार्थक रहे और दोनों शून्य परिकल्पनाएँ अस्वीकार हुईं। जिला-वार कार्-स्कायर परिणाम असार्थक होने से यह संकेत मिलता है कि सुधार की सामान्य दिशा चारों जिलों में समान है, भले ही माध्य स्तरों में कुछ व्यावहारिक अंतर हों।

विकेन्द्रीकरण के कारण स्थानीय निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही, कार्य-विभाजन, ग्राम पंचायतों की सक्रियता तथा पारदर्शिता में सुधार हुआ है। फिर भी अधिकार हस्तांतरण को मध्यम मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक होना बताता है कि संवैधानिक प्रावधानों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर शेष है।

पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित मानवबल, तकनीकी सहयोग और समयबद्ध विभागीय समन्वय उपलब्ध कराना आवश्यक है। ग्राम सभा की नियमित और प्रभावी बैठकें, सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल Cates तथा प्रतिनिधियों के सतत क्षमता-विकास से प्राप्त सुधारों को स्थायी बनाया जा सकता है।

समग्रतः विकेन्द्रीकरण को केवल अधिकारों के औपचारिक हस्तांतरण के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय संस्थाओं की वास्तविक निर्णय क्षमता और उत्तरदायित्व के रूप में लागू किए जाने की आवश्यकता है। जब कार्य, वित्त और कार्मिक का समन्वित हस्तांतरण होगा, तभी ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास और स्थानीय लोकतंत्र की प्रभावी इकाइयों के रूप में अपनी संवैधानिक भूमिका पूर्ण कर सकेंगी।

संदर्भ

1. Behar, A. (200). Madhya Pradesh Gram Swaraj Experiment in Direct Democracy. Economic and Political Weekly.
2. Brahmanandam, T. (2078). Review of the 73rd Constitutional Amendment Issues and Challenges. Indian Journal of Public Administration, 64(II).

<https://doi.org/0.77/009556773546>

3. Crook, R. C., & Manor, J. (998). Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa Participation Accountability and Performance. Cambridge University Press.
4. Datta, P. (2009). Democratic Decentralization through Panchayati Raj in Contemporary India The Changes and Challenges. Heidelberg Papers in South Asian and Comparative

Politics, 49. <https://doi.org/0.588/hpsap.2009.49.227>

5. Datta, P. K., & Sodhi, J. 5. (202). The Rise of the Panchayati Raj Institutions as the Third Tier in Indian Federalism Where the Shoe Pinches. Indian Journal of Public Administration,

67(2), 234-249. <https://doi.org/0.77/00195562005569>

6. Government of India. (992). The Constitution Seventy Third Amendment Act 992.
7. Heller, P., Harilal, K. N., & Chaudhuri, 5. (2007). Building Local Democracy Evaluating the Impact of Decentralization in Kerala India. World Development, 35(4), 626-648.

<https://doi.org/0.06/j.worlddev.2006.07.004>

8. Kumar, P., Kumar, D., & Kumar, N. (2074). ICT in Local Self Governance A Study of Rural

India. arXiv 40.059]. <https://arxiv.org/abs/40.059>

9. Manor, J. (999). The Political Economy of Democratic Decentralization. World Bank.
0. Mathew, 6. (994). Panchayati Raj From Legislation to Movement. Concept Publishing Company.
7. Ministry of Panchayati Raj. (206). Devolution Report 205-6. Government of India.
72. Oommen, M. A. (2004). Basic Services Functional Assignments and Own Revenue of Panchayats Issues in Fiscal Decentralization. Twelfth Finance Commission.
3. Pal, M. (200). Decentralised Planning and Panchayati Raj. Economic and Political Weekly.

4. Rajaraman, |., & Sinha, D. (2007). Tracking Functional Devolution by States to Panchayats. National Institute of Public Finance and Policy Working Paper 48.

5. Reddy, M. G., & Mohapatra, 3. P. (207). Decentralized Governance and Devolution of Funds to the Panchayats in India A Critical Analysis of Two States. Studies in Indian Politics, 5(0 II), 42-54. <https://doi.org/0.77/23202307698259>